

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया
राजस्व प्रार्थना पत्र 23/2018

01. श्रीमति संतोष पत्नी श्री सोहनलाल
जाति भाबी निवासी केम्पू चौराया रामगढ, तहसील विजयनगर जिला अजमेर ।
.....प्रार्थीगण

बनाम

01. चान्दू पुत्र श्री हीरा जाति भाबी
02. रामपाल पुत्र श्री हगामा जाति भाबी
03. लक्ष्मण पुत्र श्री बीरमनाथ जाति जोगी
04. हेमनाथ पुत्र श्री कैलाश जाति जोगी
05. चन्दा पुत्र श्री गिरधारी जाति भाबी
06. नानू पुत्र श्री गिरधारी जाति भाबी
सभी निवासीगण केम्पू चौराया रामगढ, तहसील विजयनगर जिला अजमेर ।
07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विजयनगर जिला अजमेर ।

.....अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीया ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम रामगढ तहसील विजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2624 रकबा 05-03-10 बिस्वा उसकी खुदकाशत से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते हैं अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1.3.4 उपस्थित होकर पत्थरगढी करने पर कोइ ऐतराज नही किया एव अप्रार्थी सख्या 2.5.6 अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामगढ पटवार मंडल रामगढ की जमाबंदी संवत 2069-72 के खाता संख्या 832 में खसरा नम्बर 2624 रकबा 05-03-10 बिस्वा प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाई जाती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते हैं कि -

आदेश

तहसीलदार विजयनगर को ग्राम रामगढ स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2624 रकबा 05-03-10 बिस्वा में मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
(सहायक कलक्टर एवं
न्यायालय अधिकारी)

